



Meticulous Investigation & Prosecution

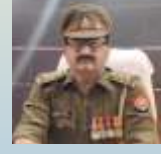
BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में छेड़छाड़ की घटना कारित करने के आरोपी राकेश को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-



अवगत कराना है कि वर्ष 2023 में अभियुक्त राकेश पुत्र सुखपाल निवासी ग्राम खट्टा प्रहलादपुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत द्वारा वादी की पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 597/23 धारा 354/376/511 भादवि व 9एम/10 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 13.07.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो कोर्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त राकेश को दोषी पाते हुए 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त राकेश को धारा 376/511 भादवि व 9एम/10 पोक्सो एक्ट में दोषमुक्त किया गया है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



नि0 श्री अतर सिंह
प्रभारी मॉनिटरिंग सैल



श्री नरेन्द्रपवार
एडीजीसी



उ0नि0 श्री ब्रजेश
पुनिया विवेचक



है0का0 रविन्द्रकुमार
कोर्ट पैराकार

@baghpatpolice

baghpatpolice



Baghpat Police

प्रेस नोट जनपद बागपत थाना बिनौली

दिनांक 13.07.2026

ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस ने मु0अ0सं0 211/26 से सम्बन्धित 01 गुमशुदा बच्चे को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 211/26 से सम्बन्धित 01 गुमशुदा बच्चे को अथक प्रयास के बाद बरामद कर उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया।



परिजनों द्वारा बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० श्री संजीव कुमार थाना बिनौली, जनपद बागपत।
- 2- उ०नि० श्री पुलकित सिंह राहल थाना बिनौली, जनपद बागपत।
- 3- उ०नि० श्री सन्नी कुमार थाना बिनौली, जनपद बागपत।
- 4- है०का० 714 रविन्द्र कुमार थाना बिनौली, जनपद बागपत।
- 5- है०का० 801 सावन कुमार थाना बिनौली, जनपद बागपत।
- 6- रि०का० 263 यतेन्द्र कुमार थाना बिनौली, जनपद बागपत।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 13.07.2026

थाना खेकड़ा पुलिस ने चैकिंग के दौरान विद्युत तार चोरी करने वाले 03 अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था में) गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 03 अवैध तमंचे (.315 बोर), 03 जिंदा एवं 03 खोखा कारतूस (.315 बोर), एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर तथा लगभग 50 किलोग्राम चोरी किया हुआ विद्युत तार बरामद किए।

घटना का संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

अवगत कराना है कि जनपद बागपत में विगत दिनों से विद्युत एवं संचार संबंधी तार चोरी की घटनाएं प्रकाश में आ रही थीं। उक्त घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में घटनाओं के सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था। गठित टीमों द्वारा लगातार सुरागरसी एवं मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर सूचनाएं संकलित की जा रही थीं।

इसी क्रम में दिनांक 12.07.2026 को थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा सघन चैकिंग एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा था। चैकिंग के दौरान समय करीब 22:50 बजे ग्राम बसी के रजवाहा स्थित पेरीफेरल

अंडरपास के पास एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर पर सवार तीन व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखकर उक्त व्यक्ति मोटरसाइकिल को कच्चे रास्ते की ओर मोड़कर भागने लगे, इसी दौरान मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई। स्वयं को घिरता देख अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा संयम एवं सतर्कता का परिचय देते हुए आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई, जिसके परिणामस्वरूप हुई पुलिस मुठभेड़ में तीनों अभियुक्तों को घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 03 अवैध तमंचे (.315 बोर), 03 जिंदा व 03 खोखा कारतूस (.315



बोर), एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर तथा एक प्लास्टिक के कट्टे में रखे लगभग 50 किलोग्राम कटे हुए बिजली के तार बरामद किए गए हैं। घायल अभियुक्तों को तत्काल पुलिस अभिरक्षा में उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेकड़ा भेजा गया, जहां उनका उपचार कराया गया।

उक्त घटना के संबंध में थाना खेकड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- जगत उर्फ मामा पुत्र स्व० सुक्कन निवासी खडखडी थाना खरखौदा जनपद मेरठ , हाल पता मौहल्ला तुसली विहार कालौनी थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर (घायल)
- 2-दीपांशु राजपूत उर्फ भूरा पुत्र पप्पू निवासी कला सिरसा थाना गजरौला जनपद अमरोहा हाल पता त्यागी सीएनजी पम्प के सामने छपरौला थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर (घायल)
- 3-अमन उर्फ काला पुत्र पप्पू निवासी कला सिरसा थाना गजरौला जनपद अमरोहा हाल पता त्यागी सीएनजी पम्प के सामने छपरौला थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर (घायल)

बरामदगी का विवरण-

- एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर नं० UP 55 A 2390
- लगभग 50 किलोग्राम चोरी किए तार के टुकड़े
- 03 अवैध तमंचे (.315 बोर) , 03 जिंदा एवं 03 खोखा कारतूस (.315 बोर)

अभियुक्त जगत उर्फ मामा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु०अ०सं० 03/15 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर
- 2-मु०अ०सं० 779/15 धारा 147,148,149,307 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर
- 3-मु०अ०सं० 780/15 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर
- 4-मु०अ०सं० 17/15 धारा 380 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत
- 5-मु०अ०सं० 31/15 धारा 120बी,147,148,149,307,380,420,427,511 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत
- 6-मु०अ०सं० 1009/17 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाही शहर जनपद बुलन्दशहर
- 7-मु०अ०सं० 431/18 धारा 420 भादवि थाना गढमुक्तेशवर जनपद हापुड
- 8-मु०अ०सं० 432/18 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना गढमुक्तेशवर जनपद हापुड

9-मु०अ०सं० 230/18 धारा 205/412 भादवि थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड

- 10-मु0अ0सं0 85/19 धारा 2/3 गैंगस्टर थाना बाबूगढ जनपद हापुड
- 11-मु0अ0सं0 298/20 धारा 174 ए भादवि थाना बाबूगढ जनपद हापुड
- 12-मु0अ0सं0 27/21 धारा 380,457,411 थाना परतापुर जनपद मेरठ
- 13-मु0अ0सं0 28/21 धारा 380,457,411 थाना परतापुर जनपद मेरठ
- 14-मु0अ0सं0 29/21 धारा 380,457,411 थाना परतापुर जनपद मेरठ
- 15-मु0अ0सं0 110/22 धारा 136,137,139 विद्युत अधिनियम थाना भावनपुर जनपद मेरठ
- 16-मु0अ0सं0 351/22 धारा 379,411 भादवि थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ
- 17-मु0अ0सं0 469/22 धारा 395,412,413 भादवि थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ
- 18-मु0अ0सं0 473/22 धारा 147,148,149,307 भादवि थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ
- 19-मु0अ0सं0 474/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ
- 20-मु0अ0सं0 875/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ
- 21-मु0अ0सं0 223/22 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना पल्लवपुरम जनपद मेरठ
- 22-मु0अ0सं0 244/23 धारा 379,411 भादवि थाना किठौर जनपद मेरठ
- 23-मु0अ0सं0 192/23 धारा 379,511 भादवि थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद
- 24- मु0अ0सं0 2093/23 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना एण्टी पावर थेफ्ट जनपद मेरठ
- 25-मु0अ0सं0 6481/23 धारा 136,137 विद्युत अधिनियम थाना एण्टी पावर थेफ्ट जनपद मेरठ
- 26-मु0अ0सं0 242/23 धारा 379,411 भादवि थाना परीक्षितगढ जनपद मेरठ
- 27-मु0अ0सं0 27/24 धारा 136 विद्युत अधिनियम 395,412 भादवि थाना रतनपुर जनपद मुजफ्फरनगर
- 28-मु0अ0सं0 53/24 धारा 3,25 आर्म्स एक्ट 395,412 भादवि थाना नागल जनपद सहारनपुर
- 29-मु0अ0सं0 113/25 धारा 136,137 विद्युत अधिनियम, 109,112,190,307 बीएनएस व 3,25,28 आर्म्स एक्ट थाना खरखौदा जनपद मेरठ
- 30-मु0अ0सं0 330/26 धारा 209 बीएनएस थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर
- 31-मु0अ0सं0 658/26 धारा 136,137 भारतीय विधुत अधिनियम 2003 थाना एपीटी बागपत
- 32-मु0अ0सं0 562/26 धारा 136 भारतीय विधुत अधिनियम 2003 थाना एपीटी बागपत
- 33-मु0अ0सं0 613/26 धारा 136, भारतीय विधुत अधिनियम 2003 थाना एपीटी बागपत
- 34-मु0अ0सं0 643/26 धारा 136 भारतीय विधुत अधिनियम 2003 थाना एपीटी बागपत
- 35-मु0अ0सं0 644/26 धारा 136 भारतीय विधुत अधिनियम 2003 थाना एपीटी बागपत
- 36-मु0अ0सं0 668/26 धारा 136 भारतीय विधुत अधिनियम 2003 थाना एपीटी बागपत

- 1-मु0अ0स0 658/26 धारा 136,137 भारतीय विधुत अधिनियम 2003 थाना एपीटी बागपत
- 2-मु0अ0सं0 562/26 धारा 136 भारतीय विधुत अधिनियम 2003 थाना एपीटी बागपत
- 3-मु0अ0सं0 613/26 धारा 136, भारतीय विधुत अधिनियम 2003 थाना एपीटी बागपत
- 4-मु0अ0सं0 643/26 धारा 136 भारतीय विधुत अधिनियम 2003 थाना एपीटी बागपत
- 5-मु0अ0सं0 644/26 धारा 136 भारतीय विधुत अधिनियम 2003 थाना एपीटी बागपत
- 6-मु0अ0सं0 668/26 धारा 136 भारतीय विधुत अधिनियम 2003 थाना एपीटी बागपत

अभियुक्त अमन उर्फ काला उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0स0 658/26 धारा 136,137 भारतीय विधुत अधिनियम 2003 थाना एपीटी बागपत
- 2-मु0अ0सं0 562/26 धारा 136 भारतीय विधुत अधिनियम 2003 थाना एपीटी बागपत
- 3-मु0अ0सं0 613/26 धारा 136, भारतीय विधुत अधिनियम 2003 थाना एपीटी बागपत
- 4-मु0अ0सं0 643/26 धारा 136 भारतीय विधुत अधिनियम 2003 थाना एपीटी बागपत
- 5-मु0अ0सं0 644/26 धारा 136 भारतीय विधुत अधिनियम 2003 थाना एपीटी बागपत
- 6-मु0अ0सं0 668/26 धारा 136 भारतीय विधुत अधिनियम 2003 थाना एपीटी बागपत

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्रभारी निरीक्षक आशीष कुमार , थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2- उ0नि0 संजीव कुमार , थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 3- उ0नि0 मयंक प्रताप, थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 4- उ0नि0 कपिल कुमार , थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 5- उ0नि0 अमित कुमार , थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 6- उ0नि0 सुजित कुमार , थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 7- है0का0 489 सुनील कुमार, थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 8- है0का0 886 अमित कुमार, थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 9- है0का0 938 मनीष कुमार, थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 10- है0का0 34 अवधेश कुमार, थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 11- है0का0 392 उमेश भाटी, थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 12- का0 164 नितिन कुमार , थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 13- का0 84 मोहित त्रिपाठी , थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 14- का0 94 अंकित कुमार, थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 15- का0 435 नवीन नागर, थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 16- का0 460 पंकज कुमार, थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।